न्यायालय : अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.2 राजगढ, जिला– अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रचना मीना *(R.J.S.)*
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23/328/21
सी.आई.एस. नम्बर : 47/2020
एफआईआर संख्या : 110/2019
पुलिस थाना : राजगढ़

राजस्थान राज्य बनाम रोहिताश

अपराध अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं., 4/21 एम एम डी आर व 48/68 एम एम सी आर एक्ट

भाग–1

अ

शिकायतकर्ता	श्री राजेन्द्र प्रसाद
अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	1. रोहिताश उर्फ सुदामा पुत्र कैलाश, निवासी मूनपुर राजगढ, पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री अशोक पटेल

ब

अपराध की तारीख	07.03.2019
एफआईआर की दिनांक	07.03.2019
चालान पेश करने की दिनांक	22.01.2020
आरोप लगाने की दिनांक	12.10.2023
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ व समाप्ति	प्रारंभ दिनांक 17.11.2023 समाप्ति दिनांक 03.02.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	निल
निर्णय दिनांक	17.03.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो	17.03.2026

स

रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	आरोप धारा	बरी या सजा	सजा	धारा 428 दं.प्र.सं. के उद्देश्य के लिये अंवीक्षा

							के दौरान निरोध में गुजारी गयी अवधि
1.	रोहिताश उर्फ सुदामा	07.03. 2019	08.03. 2019	4 / 21 एम एम आर डी व 48 / 68 एम एम सी आर, 379 आईपीसी	सजा	धारा 379 में 400 / – रूपये अर्थदण्ड, धारा 4 / 21 एमएमआरडी में न्यायालय समय उठने तक कारावास व 800 / – रूपये अर्थदण्ड, धारा 48 / 68 एमएमसीआर में न्यायालय समय उठने तक कारावास व 800 / – रूपये अर्थदण्ड	–

भाग –2

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
पी. डबल्यू 01	प्रमोद कुमार	अन्य साक्षी
पी. डबल्यू 02	प्रेमराज	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी. डबल्यू 03	राजेन्द्र प्रसाद	परिवादी
पी. डबल्यू 04	देवेन्द्र	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी. डबल्यू 05	महेशचंद	अनुसंधान अधिकारी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस**

		साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी 01	नक्शा ट्रेस
2	प्रदर्श पी 02	फर्द जब्ती वाहन ट्रेक्टर फोर्ड नंबर आरजे 02 आरसी 3834 रंग नीला मय ट्रोली मय 100 मन पत्थर
3	प्रदर्श पी 03	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम
4	प्रदर्श पी 04	तहरीरी रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी 05	चाक एफआईआर
6	प्रदर्श पी 06	नक्शा मौका घटनास्थल
7	प्रदर्श पी 07	दिनांक 07.03.2019 की रपट रवानगी व वापसी की प्रमाणित प्रति
8	प्रदर्श पी 08	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
9	प्रदर्श पी 09	फर्द निशादेही घटनास्थल नक्शा
10	प्रदर्श पी 10	जमाबंदी
11	प्रदर्श पी 11	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
निल	निल	निल

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः 17.03.2026</u>

01— अभियोजन पक्ष की कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी राजेन्द्र प्रसाद ने एक रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 पुलिस थाना राजगढ में इस आशय की पेश की कि दिनांक 07.03.2019 को समय 2 पीएम पर वह मय कांस्टेबल नटवर सिंह 142, कांस्टेबल प्रेमराज 2271, कांस्टेबल देवेन्द्र 1982 के चौकी के सामने मेघा हाईवे पर चैक बदमाशान व लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु नाकाबंदी कर रहा था। समय 2.20 पीएम पर मूनपुर तिराया की तरफ से एक ट्रेक्टर फार्म ट्रेक 60 बरंग नीला जिसके नंबर आरजे 02 आरसी 3834 जिसमें ट्रोली लगी हुई पत्थरों से भरी हुई नजर आई। ट्रेक्टर फार्म ट्रेक 60 के चालक को ईशारा देकर रूकवाया चालक से नाम पता पूछा तो चालक ने उसका नाम रोहिताश उर्फ सुदामा होना बताया तथा ट्रेक्टर–ट्रोली को चैक किया तो ट्रेक्टर की ट्रोली में अवैध खनन के करीब 100 मन पत्थर भरे हुये थे। उक्त चालक से ट्रेक्टर में भरे पत्थरों को लाने व ले जाने व परिवहन करने बाबत् टी.पी. व लाईसेंस के बारे में पूछा तो उक्त चालक ने उसके पास कोई टी.पी व लाईसेंस नहीं होना बताया.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजगढ

में एफआईआर नंबर 110/2019 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 4/21 एमएमडीआर व 48/68 एमएमसीआर, 379 आईपीसी का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आरोप पत्र में वर्णित धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया।

02— अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 4/21 एमएमडीआर व 48/68 एमएमसीआर, 379 आईपीसी का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उसने आरोप सुन व समझ कर आरोप अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

03— अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0स0 लेखबद्व किये गये। प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहा जिसपर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई।

04— उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में बहस करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अतः अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जावे।

05— अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने घटनाक्रम की ताईद नहीं की है। प्रकरण में परीक्षित समस्त गवाहान पुलिसकर्मी है। किसी भी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया है। अतः अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जावे।

06— बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है किः—

1. क्या अभियुक्त दिनांक 20.02.2019 को समय करीब 10.55 एएम पर मूनपुर तिराया राजगढ की तरफ से एक ट्रेक्टर फार्म ट्रेक 60 बरंग नीला नंबर आरजे 02 आरसी 3834 मय ट्रोली में बिना खनन विभाग की अनुमति के बेईमानीपूर्ण आशय से खनिज संपदा करीब 100 मन पत्थर को भरकर लाया तथा उक्त खनिज सम्पदा पत्थर को परिवहन करने का उसके पास कोई परमिट नहीं था ना ही खनिज विभाग का कोई वैध अनुज्ञा—पत्र उसके पास था ?

2. यदि हां तो उनके उपयुक्त दण्ड क्या होंगे ?

07— बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि उक्त विचारणीय बिन्दू को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 5 गवाहान परीक्षित करवाये गये है।

08— परिवादी राजेन्द्र प्रसाद ने एक रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 पुलिस थाना राजगढ में इस आशय की पेश की कि दिनांक 07.03.2019 को समय 2 पीएम पर वह मय कांस्टेबल नटवर सिंह 142, कांस्टेबल प्रेमराज 2271, कांस्टेबल देवेन्द्र 1982 के चौकी के सामने मेघा हाईवे पर चैक बदमाशान व लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु नाकाबंदी कर रहा था। समय 2.20 पीएम पर मूनपुर तिराया की

तरफ से एक ट्रेक्टर फार्म ट्रेक 60 बरंग नीला जिसके नंबर आरजे 02 आरसी 3834 जिसमें ट्रोली लगी हुई पत्थरों से भरी हुई नजर आई। ट्रेक्टर फार्म ट्रेक 60 के चालक को ईशारा देकर रूकवाया चालक से नाम पता पूछा तो चालक ने उसका नाम रोहिताश उर्फ सुदामा होना बताया तथा ट्रेक्टर–ट्रोली को चैक किया तो ट्रेक्टर की ट्रोली में अवैध खनन के करीब 100 मन पत्थर भरे हुये थे। उक्त चालक से ट्रेक्टर में भरे पत्थरों को लाने व ले जाने व परिवहन करने बाबत् टी.पी. व लाईसेंस के बारे में पूछा तो उक्त चालक ने उसके पास कोई टी.पी व लाईसेंस नहीं होना बताया.....इत्यादि।

09– अभियोजन की ओर से हस्तगत प्रकरण के वक्त घटना मौके पर मौजूद जाप्ता दल के सदस्य व परिवादी राजेन्द्र प्रसाद को पी0ड0–3 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। चूंकि कार्यवाही के संबंध में परीक्षित उक्त गवाह ने घटनाक्रम की ताईद अपनी साक्ष्य से की है। अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में तहरीरी रिपोर्ट की ताईद करते हुए कथन किया है कि दिनांक 07.03.2019 को वह चौकी कोठीनारायणपुर पर हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन कांस्टेबल प्रेमराज, देवेन्द्र व नटवर सिंह के साथ बदमाश कांड की नाकाबंदी चौकी के पास कर रहा था। समय करीब 2:20 पीएम पर मूनपुर तिराहे की तरफ से एक ट्रेक्टर रंग नीला, 60 फोर्ड नम्बर आरजे 02 आरसी 3834 मय ट्रोली आ रहा था, जिसको उन्होंने इशारा देकर रूकवाया, चैक किया, तो उसकी ट्रोली में करीब 100 मन पत्थर भरे थे। चालक से उक्त पत्रों के परिवहन करने बाबत् लाईसेंस/ रवन्ना मांगा, तो चालक ने नहीं होना बताया। चालक से नाम–पता पूछा, जिस पर उसने उसका नाम रोहिताश उर्फ सुदामा पुत्र कैलाश निवासी मुनपूर का होना बताया एवं उक्त पत्थरों को मुनपूर की पहाडी में से अवैध रूप से खनन कर चोरी कर लाना बताया। चालक का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 4/21 एम. एम. डी. आर., 48/68 एम.एम.सी. आर. एक्ट, 379 आईपीसी का होने से जप्ती कार्यवाही हेतु उसने स्वतंत्र गवाह बनने हेतु उपस्थित लोगों से कहा लेकिन कोई भी व्यक्ति कानूनी पेचिदगियों के कारण गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ जिस पर उसने मौतबीरान नटवर सिंह व देवेन्द्र सिंह को नियुक्त कर उक्त ट्रेक्टर मय ट्रोली मय 100 मन पत्थर मौके पर जप्त कर फर्द जप्ती बनायी जो कि प्रदर्श पी 02 है। मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 03 है जिन दोनों पर उसके हस्ताक्षर है। वापसी थाने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु उसके द्वारा तहरीर रिपोर्ट पेश की गयी जो कि प्रदर्श पी 04 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 05 है। घटनास्थल का नक्शामौका उसकी निशादेही पर कसीद किया गया जो कि प्रदर्श पी 06 है। उक्त तीनों फर्दो पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी चौकी कोठीनारायणपुर से दिनांक 07.03.2019 की रपट रवानगी व वापसी रोजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 07 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह परीक्षित उपरोक्त गवाह ने ऐसा कोई खंडनकारी कथन नहीं किया है, जिससे गवाह की मुख्य परीक्षा में की गयी साक्ष्य अविश्सनीय प्रतीत होती हो।

10– गवाह पी डबल्यू 02 प्रेमराज भी मौके का गवाह है जिसने भी अपने सशपथ बयानों में घटनाक्रम की ताईद करते हुये कथन कहे हैं कि दिनांक 07.03.2019 को वह चौकी कोठीनारायणपुर तहत थाना राजगढ में सिपाही के पद पर

पदस्थापित था। उस दिन समय करीब 2:00 पीएम पर राजेन्द्र हैड कांस्टेबल के साथ वह, सिपाही नटवर, देवेन्द्र के साथ चौकी कोठीनारायणपुर के सामने नाकाबंदी कर रहे थे। इतने में ही समय करीब 2:20 पीएम पर मुनपुर तिराहे की तरफ से एक ट्रेक्टर 60, बैरंग नीला नम्बर आरजे 02 आरसी 3834 जिसके पीछे एक ट्रोली लगी हुई थी, जिसमें पत्थर भरे हुए थे। जिसको हैड साहब ने हमराही जाप्ते की मदद से चालक को रूकवाया, नाम पता पूछा तो उसने उसका नाम रोहिताश उर्फ सुदामा पुत्र कैलाश निवासी मूनपुर का होना बताया। ट्रेक्टर के लगी ट्रोली को देखा तो उसमें लगभग 100 मन चेजा पत्थर भरा हुआ था, जिस बाबत चालक से वैध रवन्ना व टीपी के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। जिस पर मुलजिम के कब्जे से मिली ट्रेक्टर मय ट्रोली मय 100 मन चेजा पत्थर हमराही जाप्ते में से ही देवेन्द्र, व नटवर को मौतबीर मामूर कर हैड साहब ने जप्ती की। मय माल मुलजिम को गिरफ्तार किया। ट्रेक्टर को मय ट्रोली व पत्थर के चौकी खडा कर दिया व चालक को गिरफ्तार कर थाने ले गये। दौराने जिरह उक्त गवाह से भी इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया गया है जिससे उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा खण्डित होती हो। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन की कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन होता है।

11— गवाह पी डबल्यू 04 देवेन्द्र भी मौके का गवाह है जिसने भी अपने सशपथ बयानों में घटनाक्रम की ताईद करते हुये कथन कहे हैं कि दिनांक 07.03.2019 को वह चौकी कोठीनारायणपुर पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन हैड कांस्टेबल राजेन्द्र, वह, कांस्टेबल प्रेमराज, व नटवर सिंह के साथ बदमाश कांड की नाकाबंदी चौकी के पास कर रहा था। समय करीब 2:20 पीएम पर मूनपुर तिराहे की तरफ से एक ट्रेक्टर रंग नीला, 60 फोर्ड नम्बर आरजे 02 आरसी 3834 मय ट्रोली आ रहा था, जिसको उसने इशारा देकर रूकवाया, चैक किया तो उसकी ट्रोली में करीब 100 मन पत्थर भरे थे। हैड साहब ने चालक से उक्त पत्रों के परिवहन करने बाबत् लाईसेंस/रवन्ना मांगा, तो चालक ने नहीं होना बताया। चालक से हैड साहब ने नाम–पता पूछा, जिस पर उसने उसका नाम रोहिताश उर्फ सुदामा पुत्र कैलाश निवासी मूनपुर का होना बताया एवं उक्त पत्थरों को मूनपुर की पहाडी में से अवैध रूप से खनन कर चोरी कर लाना बताया। चालक का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 4/21 एम.एम.डी.आर., 48/68 एम.एम.सी. आर एक्ट, 379 आईपीसी का होने से जप्ती कार्यवाही हेतु हैड साहब ने स्वतंत्र गवाह बनने हेतु उपस्थित लोगों से कहा लेकिन कोई भी व्यक्ति कानूनी पेचिदगियों के कारण गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ जिस पर हैड साहब ने उसे व कांस्टेबल नटवर सिंह को नियुक्त कर उक्त ट्रेक्टर मय ट्रोली मय 100 मन पत्थर मौके पर जप्त कर फर्द जप्ती बनायी जो कि प्रदर्श पी 02 है। मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 03 है जिन दोनों पर उसके हस्ताक्षर है। वापसी कोठीनारायणपुर पर ट्रेक्टर्र–ट्रोली को सुरक्षा की दृष्टि से खडाकर मुलजिम को थाने पर ले आये। घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 06 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह से भी इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया गया है जिससे उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा खण्डित होती हो। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन की कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन होता है।

12— गवाह पी डबल्यू 01 प्रमोद कुमार पटवारी है जो हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को मूनपुर ग्राम के गैर मुमकिन पहाड जो सरकारी सिवायचक किस्म गैरमुमकिन पहाड खसरा नंबर 726 रकबा 18.56 हैक्टेयर भूमि का भाग है, का नक्शाट्रेस प्रदर्श पी 01 दिया जाना व उक्त फर्द पर स्वयं के हस्ताक्षर होना अपनी साक्ष्य में स्वीकार करता है।

13— गवाह पी डबल्यू 04 महेशचंद हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जो हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान किया जाना अपनी मुख्य परीक्षा में व्यक्त करता है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा इस गवाह से भी इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया गया है जिससे उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा खण्डित होती हो।

14— अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस मात्र यह तर्क रहा है कि उक्त संपूर्ण कार्यवाही के संबंध में किसी भी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया है, अतः स्वतंत्र गवाहान की साक्ष्य के अभाव में उक्त की गयी कार्यवाही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि हस्तगत प्रकरण में वक्त कार्यवाही मौके पर जाप्ता दल के सदस्यों को ही स्वतंत्र गवाह माना जावेगा, जब तक अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से अभियुक्त से पूर्व रंजिश का तथ्य स्वयं की साक्ष्य से साबित नहीं किया जाता हो। इस प्रकार अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से उठाया गया उक्त तर्क सारहीन होने के कारण स्वीकार कर खारिज किया जाता है।

15— अर्थात् उपरोक्त जाप्ता के गवाह/परिवादी पी डबल्यू 03 राजेन्द्र प्रसाद व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी डबल्यू 02 प्रेमराज व पी डबल्यू 04 देवेन्द्र ने तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित संपूर्ण घटना क्रम की पूर्णतया ताईद की हैं। मौके के गवाहान दौराने जिरह स्थिर व विश्वसनीय रहे हैं, जिनका कोई खंडन दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से नहीं किया गया है। अतः पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त है। अतः अभियुक्त **रोहिताश उर्फ सुदामा** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/21 एम. एम. डी. आर. एक्ट व 48/68 एम. एम.सी. आर. व 379 भा0दं0स0 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

16— अतः अभियुक्त रोहिताश उर्फ सुदामा पुत्र कैलाश, निवासी मूनपुर राजगढ, पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर राजस्थान को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट व 48/68 एम.एम.सी.आर. व 379 भा0दं0स0 के तहत दोषसिद्व किया जाता है।

(रचना मीना)

: सजा का बिन्दु :

17— सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है एवं उसके विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि या आदतन अपराधी होने बाबत् कोई प्रमाण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ दिये जाने का निवेदन किया। जिसका विद्वान सहायक अभियोजन

अधिकारी ने विरोध किया और अभियुक्त को उसके द्वारा कारित अपराध के लिये उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

18— उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि अभियुक्त पर खनिज वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप प्रमाणित हुआ है। ऐसे में यदि अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जावेगा। लिहाजा अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

: **दंडादेश :**

19— अतः अभियुक्त रोहिताश उर्फ सुदामा पुत्र कैलाश, निवासी मूनपुर राजगढ, पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर राजस्थान को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/21 एम.एम. डी.आर. एक्ट व 48/68 एम.एम.सी.आर. व 379 भा0दं0स0 में निम्नानुसार दोषसिद्ध किया जाता हैः—

अभियुक्त को धारा 379 आईपीसी में दोषसिद्ध किये जाने पर 400/— रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 01 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

अभियुक्त को धारा 4/21 एमएमडीआर में दोषी जाये जाने पर न्यायालय उठने तक कारावास तथा 800/— रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 02 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

अभियुक्त को धारा 48/68 एमएमसीआर में दोषी पाये जाने पर न्यायालय उठने तक कारावास तथा 800/— रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 02 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

20— अभियुक्त का नियमानुसार सजा वारण्ट मुर्तिब हो। अभियुक्त द्वारा न्यायिक व पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को धारा 428 सीआरपीसी के अंतर्गत मूल सजा में समायोजित किया जावे। अभियुक्त की सभी मूल सजायें साथ—साथ चलेंगी। धारा 437ए द.प्र.सं. 1973 के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध दाखिल किसी अपील या याचिका के संबंध में अभियुक्त को अगले अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में दस हजार रूपये की राशि की प्रतिभूति सहित जमानत बन्ध—पत्र पेश करने के आदेश भी दिये जाते हैं। उक्त जमानत बन्ध—पत्र छः मास तक प्रवृत रहेगा, जो आदेशानुसार जमा करवाये गये। प्रकरण में जप्तशुदा माल का पूर्व में निस्तारण किया जा चुका है। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है, जो कि सुपुर्दगीदार के पास रहे। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे।

(रचना मीना)

21— निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(रचना मीना)